# निदेशालय
## महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून
दूरभाष नं0 0135–2775813, 814 फैक्स नं0 2775816 ई0मेल: dir.icds.ua@gmail.com

पत्र संख्याःसी–726 / बजट–5511 / 2020-21, दिनांक 10 अगस्त,2020

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी,उत्तराखण्ड
(कालसी एवं चकराता को छोड़कर)।

**विषयः वित्तीय वर्ष 2020–21 में समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के संचालन / क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनावंटन।**

शासनादेश संख्या 408/XVII(4)/2020-2(6)/2020 दिनांक 24-04-2020 के द्वारा अनुदान संख्या–15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू0 3004062500/- (रू0 तीन अरब चालीस लाख बासठ हजार मात्र) शासनादेश संख्या 590/XVII(4)/2020-5(23)/2019,01-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या–15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू0 3969100/-(रू0 उनचालीस लाख उनहत्तर हजार एक सौ मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आंवटन रू0 516559556/- (रू0 इक्यावन करोड़ पैसठ लाख उनसठ हजार पॉच सौ छप्पन मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न् शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:–

**शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं :–**

1. मानक मद 08–पारिश्रमिक अन्तर्गत आगंनवाडी कार्मिको का पारिश्रमिक भुगतान नियमानुसार किया जाये एवं मानक मद 23–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व से किराये पर संचालित आंगनवाडी केन्द्रों का भवन किराये का भुगतान नियमानुसार किया जाये तथा मानक मद 44–सामग्री एवं सम्पूर्ति में आंवटित धनराशि से कुक्डफूड / टी0एच0आर0 के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार के मानकानुसार लाभान्वित किया जाये।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी,ताकुला अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में आर0बी0आई0 फेल होंने के कारण मानक मद 31–सामग्री एवं सम्पूर्ति की धनराशि रू0 3821550.00 को वित्तीय वर्ष 2020–21 में मानक मद 44–सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत पिछला अवशेष भुगतान करना सुनिश्चित करें।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाए और इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए न छोड़ी जाये।
4. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. वर्तमान जारी बजट को विभागीय वैबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
7. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनु0सं0–15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-02 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

**संलग्नः– यथोपरि।**

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

**पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपिः** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- समस्त मुख्य / बरिष्ठ / कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, उत्तराखण्ड।
4- गार्ड फाईल।

वित्त नियंत्रक